# गंदगी व मलबा फैलाने पर 23 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ● नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है। इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। गंदगी व मलबा फैलाने पर मां बिजासन दूध भण्डार महू रोड, राठौड़ उपहार गृह कॉलेज रोड पर 2000-2000, आनन्दश्री रेस्टोरेंट महू रोड बस स्टैण्ड पर 1000, जयराज महू रोड बस स्टैण्ड पर 500, दीपक जैन, बालाजी मोमोज, राज कुमार, किरण कुमार, सुभाष, धीरज, शुभम् राठौड़ पर 250-250, भाईजी महू रोड बस स्टैण्ड, उपेन्द्र स्टेडियम मार्केट पर 200-200, हेमन्त, पूजा पाव भाजी, सत्यम चायनीज, महेन्द्र सिंह, विजय स्टेडियम मार्केट, एजेन्द्र महू रोड बस स्टैण्ड पर 100-100, सुनीता बाई, मंगलसिंह, रेखाबाई, दिनेश पैलेस रोड पर 50-50 रुपए का जुर्माना किया गया।

25-12-2020

25/12/20

# 5 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम ● निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान महू रोड बस स्टैण्ड पर सफाई संरक्षकों द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहने, सफाई नहीं पाए जाने व जेटिंग वाहन के ड्रायवरों द्वारा वाहन समय पर नहीं निकाले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर निलंबन व सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा प्रातः महू रोड बस स्टैण्ड के निरीक्षण के दौरान सफाई संरक्षक विकास-ब्रजेश बिरजे द्वारा बस स्टैण्ड पर उपस्थित नहीं पाए जाने पर संबंधित को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सफाई संरक्षक शिवशंकर-अर्जुन व लोकेश को बस स्टैण्ड पर सफाई नहीं पाए जाने व जेटिंग वाहन के ड्रायवर संजय-अर्जुन तथा आनन्द द्वारा निर्धारित समय प्रातः 7 बजे वाहन ना निकालते हुए 8 बजे पश्चात वाहन निकाले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

# धोलावाड़ में पर्यटन महोत्सव की शुरुआत आज से होगी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com 25-12-2020

रतलाम. आमजन को प्रकृति के सानिध्य में रोमांच देने के लिए धोलावाड़ इको टूरिज्म पार्क पर्यटन महोत्सव' के लिए तैयार हो गया है। धोलावाड़ में पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ 25 दिसंबर को किया जा रहा है, जो कि जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले पर्यटन महोत्सव के दौरान विभिन्न साहसिक एवं रोमांचकारी गतिविधियां आयोजित होगी।

कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने बताया कि महोत्सव के दौरान न केवल पानी पर मन को प्रफुल्लित करने वाली गतिविधियों का आनंद उठाया जा सकेगा, बल्कि आईलैंड पर टेंट कैंपिंग, वैली क्रॉसिंग, तीरंदाजी, साइकिलिंग जैसे रोमांचकारी एवं साहसिक खेलों का आनंद भी ले सकेंगे। पर्यटन महोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड द्वारा सम्पूर्ण अवधि के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

यह रहेगा पैकेजपर्यटन महोत्सव में हाइलैंड पर वीआईपी टेंट कैंपिंग के लिए 5 हजार रुपए प्रति टेंट अधिकतम दो व्यक्ति के लिए निर्धारित रहेंगी। इस पैकेज में चाय, नाश्ता, भोजन एवं पार्किंग की गतिविधियां शामिल हैं। इसी प्रकार सामान्य टेंट कैंपिंग में 2 हजार रुपए एक व्यक्ति के, 2500 रुपए दो व्यक्ति के लिए तथा 3 हजार रुपए तीन व्यक्तियों के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके पैकेज में चाय, नाश्ता, भोजन एवं पार्किंग की गतिविधियां शामिल हैं।

इनका लगेगा शुल्कइसके अलावा महोत्सव में प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 10 रुपए रहेगा। चार पहिया वाहन के लिए 20 रुपए प्रति वाहन एवं बस, मिनी बस पार्किंग 50 रुपए प्रति वाहन रहेगी। पर्यटन महोत्सव में आयोजित गतिविधियों के लिए निर्धारित शुल्क के अंतर्गत प्रति व्यक्ति वाटर स्कूटर 100 रुपए, बोट राइड 50 रुपए, बनाना राइड 50 रुपए, वाटर जॉर्बिंग बॉल 50 रुपए, वेली र सिंग 50 रुपए, माउंटेन बाइकिंग 50 रुपए, साइकिलिंग 20 रुपए, बैलेंस द रोप 10 रुपए, टायर क्रॉल 10 रुपए, मंकी क्रॉल 20 रुपए, तीरंदाजी 50 रुपए तथा पेंट बाल 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

पत्रिका
25-12-2020

## धोलावड़ में आज से शुरू होगा पर्यटन महोत्सव

रतलाम। आमजन को प्रकृति के सानिध्य में रोमांच देने के लिए धोलावाड़ इको टूरिज्म पार्क पर्यटन महोत्सव के लिए तैयार हो गया है। धोलावाड़ में पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ आज होगा। पर्यटन महोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने महोत्सव के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करते हुए गुरुवार को टीएल

25/12/2020 दैनिक भास्कर

# निगम कार्यपालन यंत्री और राशन कार्ड प्रभारी पर 25-25 हजार का जुर्माना

## 'सूचना का अधिकार' में जानकारी नहीं दी, राज्य सूचना आयोग ने की कार्रवाई

25-12-2020

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआइ के दो आवेदनों पर समय पर जानकारी नहीं देने पर सिटी इंजीनियर सुरेशचंद्र व्यास और राशन कार्ड विभाग प्रभारी एपी सिंह पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड किया है। जुर्माने की राशि एक माह में जमा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूली करने के निर्देश भी दिए हैं।

आरटीआइ एक्टिविस्ट नीतिराज सिंह राठौर द्वारा दोनों आवेदनों को लेकर प्रस्तुत द्वितीय अपील की सुनवाई के बाद आयोग ने आदेश जारी किए। नीतिराज ने नगर निगम की यूआइडीएसएसएमटी के तहत पेयजल पाइप लाइन डालने की योजना से संबंधित 20 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी। इसमें नगर निगम से जानना चाहा था कि डाली गई पेयजल पाइप लाइन में कुल कितना भुगतान किस संस्था को किया? गया। पूर्णता प्रमाणपत्र किस अधिकारी ने जारी किया? इसी तरह अन्य जानकारियां मांगी गई थी। आवेदन पर नगर निगम से कोई जानकारी नहीं मिली तो राठौर ने निगम के अपीलीय

अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। यहां भी कार्रवाई नहीं होने पर असंतुष्ट होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जी. कृष्णमूर्ति ने अपील की सुनवाई के बाद तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम के जलप्रदाय प्रभारी सुरेशचंद्र व्यास को लोक सूचना अधिनियम के उल्लंघन का दोषी माना।

### राशन घोटाले की जानकारी भी समय पर नहीं दी

दूसरे मामले में नगर निगम के राशन कार्ड विभाग प्रभारी एपी सिंह पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया है। नगर निगम में करीब 10 करोड़ रुपये के राशन घोटाले को लेकर नीतिराजसिंह राठौर ने गत 4 मई 2019 को नीतिराज सिंह राठौर ने राशन कार्ड घोटाले से जुड़ी विभिन्न नस्तियों और पत्र व्यवहार की जानकारी मांगी 10 बिंदुओं पर मांगी थी।

राठौर का कहना था कि नगर निगम के अधिकारियों को डर था कि उक्त जानकारियां सामने आने से राशन घोटाले के नए तथ्य सामने आ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने पहले तो मांगी गई जानकारियों को प्रश्नवाचक बताते हुए जानकारियां देने से साफ इंकार कर दिया। प्रथम अपील खारिज होने पर राठौर ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जी. कृष्णमूर्ति ने अपील का निराकरण करते हुए तत्कालीन सम लोक सूचना अधिकारी एवं राशन कार्ड विभाग प्रभारी एपी सिंह को लोक सूचना अधिकार कानून के उल्लंघन का दोषी पाया।

नई दुनिया

25-12-2020

(23)

# भवन निर्माण अनुमति शुल्क कम नहीं किया तो करेंगे आंदोलन

उपायुक्त विकास सोलंकी को ज्ञापन देते युवक कांग्रेस पदाधिकारी। •नईदुनिया 25-12-2020

रतलाम। नगर निगम द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में वृद्धि के विरोध में गुरुवार को जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट के नेतृत्व में उपायुक्त विकास सोलंकी को निगमायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा प्रशासनिक सहमति से भवन निर्माण अनुमति शुल्क में वृद्धि की गई है। यह नियम विपरीत व आमजन को परेशान करने वाली है। नए नियम से 1000 वर्गफीट के भवन निर्माण में जहां 5000 रुपये शुल्क लगता था, वहां अब 40 हजार रुपये देना पड़ेंगे। प्रदेश में किसी भी निकाय में इस तरह की वसूली नहीं की जा रही है। यह वृद्धि अगर बंद नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।

इस दौरान शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष सैय्यद वुसत जैदी, यश दवे, वसीम अली, अशरफ बेलिम, जितेंद्र ठन्ना, नोमान खान, जितेंद्र पंडित सहित शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, यास्मिन शेरानी, रजनीकांत व्यास, अदिति दवेसर, राकेश झालानी, हितेश पैमाल, बसंत पंड्या, विजयसिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

नईदुनिया 25-12-2020

**चेतावनी** • जिला युवक कांग्रेस व शहर कांग्रेस ने मांग पूरी नहीं होने पर जनआंदोलन के लिए हुंकार भरी

# भवन निर्माण अनुमति शुल्क कम किया जाए

भास्कर संवाददाता | रतलाम

25-12-2020

नगर निगम द्वारा प्रशासनिक सहमति से भवन निर्माण अनुमति के लिए शुल्क लागत बढ़ाए जाने पर जिला युवक कांग्रेस व शहर कांग्रेस ने विरोध किया है। भवन निर्माण के नाम पर बढ़ी हुई राशि वसूली पर रोक लगाने के साथ ही पूर्व में जो राशि ली जा रही थी वही लेने की मांग की गई है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो जनआंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी।

## पार्टी पदाधिकारी बोले- एक हजार वर्गफीट के मकान पर 5 हजार की बजाय 40 हजार रुपए की लागत रहेगी

उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए कांग्रेसी।

जिला युवक कांग्रेस व शहर कांग्रेस ने गुरुवार को निगमायुक्त के नाम का ज्ञापन उपायुक्त भविष्य कुमार खोबरागड़े को दिया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर निगम ने प्रशासनिक सहमति से भवन निर्माण अनुमति के लिए मलबा शुल्क 1 प्रतिशत, भूमि उपयोग 1 प्रतिशत, भवन निर्माण-कर्मकार पर जो शुल्क बढ़ाया गया वह शहर की जनता के हित में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गफीट पर भवन निर्माण अनुमति लेता तो उसकी लागत 5 हजार रुपए लगती थी लेकिन वर्तमान में बढ़ाए गए शुल्क के अनुसार उक्त भवन निर्माण की अनुमति की लागत 40 हजार रुपए रहेगी, जो गलत है। ज्ञापन में बताया गया कि पूरे प्रदेश में किसी भी निकाय द्वारा उक्त राशि वसूली नहीं की जा रही है। उक्त विषय का निराकरण नहीं किया गया तो जनआंदोलन किया जाएगा। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट, सैय्यद वुसत, यश दवे, वसीम अली, अशरफ बेलीम तथा शहर कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, यास्मीन शैरानी, रजनीकांत व्यास अदिति दवेसर, राकेश झालानी, हितेश पेमाल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दै० भास्कर 25-12-2020

# 11 पर लगाया जुर्माना

रतलाम. नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान अंतर्गत चल रहे निरीक्षण में आयुक्त सोमनाथ झारिया ने गुरुवार को अलग-अलग मोहल्लों में 11 लोगों पर अर्थदंड की कार्रवाई की है। निगम के अधिकारियों के अनुसार 11 लोगों पर जुर्माना लगाकर 1600 रुपए अर्थदंड वसूले गए।

पत्रिका

25-12-2020

# निगम आयुक्त ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

25/12/2020

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान महू रोड बस स्टैण्ड पर सफाई संरक्षकों द्वारा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही रहने, सफाई नहीं पाये जाने व जेटिंग वाहन के ड्रायवरों द्वारा वाहन समय पर नहीं निकाले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर निलंबन व सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। निगम आयुक्त द्वारा प्रातः महू रोड बस स्टैण्ड के निरीक्षण के दौरान सफाई संरक्षक विकास-ब्रजेश बिरजे द्वारा बस स्टैण्ड पर उपस्थित नहीं पाये जाने पर संबंधित को निलंबित किये जाने के निर्देश दिये।

## नोटिस जारी किया

इसके अलावा सफाई संरक्षक शिवशंकर-अर्जुन व लोकेश को बस स्टैण्ड पर सफाई नहीं पाये जाने व जेटिंग वाहन के ड्रायवर संजय-अर्जुन तथा आनन्द द्वारा निर्धारित समय प्रातः 7 बजे वाहन ना निकालते हुए 8 बजे पश्चात वाहन निकाले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

राज एक्सप्रेस

# सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

इन्दौर समाचार 25/12/2021

रतलाम। नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

इन्दौर समाचार

25/12-2021